

क्रमांक : प. 1(4)उद्योग / ग्रुप-2 / 2012

जयपुर, दिनांक: 8 MAR 2019

--:अधिसूचना:--

राज्यपाल महोदय की ओर से राजस्थान चर्म शिल्प विकास एवं आधुनिकीकरण योजना, 2012 की अवधि दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक प्रभावी रखे जाने की सहमति प्रदत्त की जाती है।

यह सहमति निम्न शर्तों के तहत जारी की जाती है :-

राजस्थान चर्म शिल्प विकास एवं आधुनिकीकरण योजना में गत 5 वर्षों में लाभान्वितों की संख्या दहाई तक ही है। योजना का अधिक से अधिक आर्टीजनों को लाभ पहुंचे, इसके लिए योजना का पुनरीक्षण एवं संशोधन कर, सक्षम प्रशासनिक स्तर से अनुमोदन कराया जाना सुनिश्चित करें।

यह सहमति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. संख्या 101900824 दिनांक 27.02.2019 पर प्रदत्त सहमति से जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

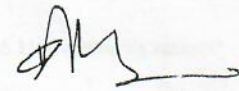
दृ०/-

(दुर्गा जोशी)

विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय उद्योग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, एम.एस.एम.ई।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त (समस्त)
9. जिला कलक्टर (समस्त)
10. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को मय सॉफ्ट प्रति भेजकर अनुरोध है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण राजपत्र में प्रकाशन हेतु अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय को निर्देशित करावें।
11. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र (समस्त)
13. रक्षित पत्रावली।


सहायक शासन सचिव